



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 441]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर 2014—भाद्र 27, शक 1936

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर, 2014

क्र. 985-रा.स.-यू.ए.-5-2014.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (तीन), (चार), (पांच) एवं (छः) के अन्तर्गत राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :—

स. क्र. (1)	नामांकित व्यक्ति का नाम (2)	अधिनियम का प्रावधान (3)
1.	डॉ. पंजाब सिंह, पूर्व सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग एवं महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली.	धारा 27(2) (तीन)
2.	श्री सीताराम पाटीदार, आत्मज श्री जगन्नाथ पाटीदार, ग्राम पटलवड़, प्रो. सन्डिल, जिला-धार. श्री भगवान सिंह शक्तावत, फतेहगढ़ हाऊस, सिविल लाइन्स, रामटेकरी, मंदसौर.	धारा 27(2) (चार)
3.	परवीन सबा खान, एच. नं. 120-ए, न्यू देवकी नगर, बरेसिया रोड, भोपाल.	धारा 27(2) (पांच)
4.	डॉ. के. एम. एल. पाठक, उपमहानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली.	धारा 27(2) (छः)

यह आदेश वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त दिनांक 21 सितम्बर 2014 से प्रभावशील होंगे.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.